म.प्र. शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/2/815/2021/38-2 भोपाल, दिनांक 23 /06/2021

प्रति

1.समस्त कुलसचिव,
शासकीय विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश ।
2. समस्त प्राचार्य,
शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश ।

विषय :- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना एवं मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना अन्तर्गत शुल्क की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

संदर्भ :- तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश क्रमांक एफ5- 6/2017/42(1) दिनांक 05/06/2018 एवं एफ 14-2/2008/42-2 दिनांक 09/07/2018 ।

---000---

लेख है कि तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, म.प्र.शासन के संदर्भित आदेशों का अवलोकन करें। प्रदेश के समस्त शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों /शासकीय विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पात्रतानुसार मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना एवं मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना का लाभ प्रदान किए जाने के निर्देश है। संदर्भित आदेशों में शुल्क की प्रतिपूर्ति के संबंध में यह उल्लेखित है कि योजनाओं के अन्तर्गत उच्च शिक्षा हेतु विभिन्न संस्थानों को देय शुल्क के रूप में प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क (मेस शुल्क व कॉशन मनी को छोडकर), जो शुल्क विनियामक समिति अथवा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार / राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, का भुगतान किया जाएगा। स्पष्ट है कि योजनाओं के अन्तर्गत पात्र विद्यार्थियों के प्रवेश शुल्क (मेस शुल्क व कॉशन मनी को छोडकर) विश्वविद्यालयों द्वारा लिए जाने वाले नामांकन शुल्क एवं परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत में की जानी है।

यह संज्ञान में लाया गया है कि शुल्क की प्रतिपूर्ति के संबंध में संदर्भित आदेशों में उक्त अनुसार उल्लेखित निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। निर्देशित किया जाता है कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना एवं मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना में नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति संदर्भित आदेशों के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

योजनाओं में पात्र विद्यार्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति संबंधी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी।

22-6-21
(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक/3/815/2021/38-2 भोपाल, दिनांक 23/06/2021

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग।
3. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
5. वि.क.अधि. , छात्रवृत्ति शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश ।
6. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।

.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

22-6-21
अवर सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

DR(ACA) ARAW
AR-AC/SI Cell S.O.(SC/ST cell)
789 25/6/21 24/6/21 1333 25/06/21 25/6/21 25/06/21